# वित्तीय समावेशनः कदमताल में तेजी की जरूरत

ऋषभ कृष्ण सक्सेना

**जन-धन और मुद्रा को जिस तरह लागू किया जा रहा है, वह सराहनीय है लेकिन दोनों योजनाओं की समीक्षा कर अगर सरकार यह पता कर लेती है कि बुनियादी ढांचे, आवाजाही, वित्तीय निरक्षरता, तकनीकी पंगुता जैसी कौन सी दिक्कतें लाभार्थियों के सामने आ रही हैं तो इन्हें बेहतर बनाना आसान होगा। लगभग 21 करोड़ जन-धन खाते, 1 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण और भुगतान तथा लघु बैंक वास्तव में बेहद उजले कल की ओर संकेत कर रहे हैं लेकिन उस कल में और निखार लाने के लिए सरकार को अब इनमें अगली सीढ़ी चढ़नी होगी**

वित्त मंत्री ने गत वर्ष फरवरी में जब बजट पेश किया था तो वित्तीय समावेशन पर उनका बहुत अधिक ज़ोर था। *प्रधानमंत्री जन धन योजना* हो या छोटे उद्यमियों के लिए *प्रधानमंत्री मुद्रा योजना*, उन्होंने बैंकिंग की सुविधा तथा संस्थागत वित्तीय सहायता से वंचित रहने वालों को साथ लेना देश की वृद्धि के लिए आवश्यक बताया था। उसके बाद पूरे साल इन दोनों योजनाओं पर काम भी किया गया लेकिन ठीक एक साल बाद इस बार उनके बजट भाषण में दोनों ही योजनाएं लगभग नदारद थीं। मुद्रा योजना का तो उन्होंने दो पंक्तियों में जिक्र किया लेकिन जन धन योजना के बारे में वह कुछ नहीं बोले।

फिलहाल, दोनों योजनाओं पर काम चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है लेकिन एक साल बाद अब इन दोनों योजनाओं को ही अगले चरण में ले जाने की जरूरत महसूस हो सकती है। जन धन योजना के तहत खुले बैंक खातों में अगर ग्रामीण ठीक से लेनदेन नहीं कर रहे हैं या 28 फीसदी से भी ज्यादा खाते खाली पड़े हैं तो सरकार को उन्हें भरने और लोगों को बैंकों से अधिक सक्रिय रूप से जोड़ने की पहल करनी ही होगी। इसी तरह मुद्रा के फायदे को और भी व्यापक बनाने के लिए उसके नियमों में कतरब्योंत की जरूरत हो सकती है। आखिर क्या कारण रहे होंगे कि इन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई? यह तभी पता चलेगा, जब हम देखेंगे कि पिछले बजट से इस बजट तक वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर क्या जमीनी काम हुआ है। तो आइए हम वित्तीय समावेशन की योजनाओं की अब तक की प्रगति को क्रमवार देखें।

## जन धन योजना

वित्तीय समावेशन की चुनौती से प्रभावी तरीके से जूझने वाली जन धन योजना के लिए सरकार की जितनी भी सराहना की जाए, कम होगी। डेढ़ साल पहले शायद ही किसी को लगा हो कि यह योजना इतनी कामयाब होगी लेकिन 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई और विश्व रिकॉर्ड बना चुकी इस योजना के अंतर्गत महज डेढ़ साल में 21 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोल दिए गए हैं, जिनमें 60 फीसदी से भी ज्यादा गांवों में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 मार्च 2016 तक देश में कुल 21.11 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं। इनमें 12.94 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं और शहरी क्षेत्रों में 8.17 करोड़ खाते खोले गए हैं।[1]

शुरुआत में इस बात को लेकर जन धन योजना की बहुत आलोचना होती थी कि खाते कमोबेश खाली पड़े हैं और 31 मार्च 2015 को तो 58 फीसदी से भी ज्यादा खातों में कोई रकम नहीं थी लेकिन 2 मार्च 2016 को बिना रकम वाले जन धन खाते महज 28.79 फीसदी रह गए थे। इस समय सभी जन धन खातों में कुल मिलाकर करीब 33,532.10 करोड़ रुपये जमा हैं। यूं तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है लेकिन अगर शून्य राशि वाले खातों को हटाकर बाकी सभी खातों में यह रकम बांट दी जाए तो हरेक खाते में बमुश्किल 2,210 रुपये ही आएंगे, जो नाकाफी ही कहे जाएंगे। यह रकम भी सरकारी सब्सिडी के कारण ही जमा है। अगर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के ज़रिए सब्सिडी खातों में भेजनी बंद कर दी जाए तो कुल जमा रकम का आंकड़ा बेहद कम रह जाएगा।

लेखक आर्थिक दैनिक समाचार पत्र *बिजनेस स्टैंडर्ड* में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। इससे पूर्व संवाद समिति 'यूनीवार्ता' में काम कर चुके हैं। गुरु जांभेश्वर विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध मीडिया संस्थानों में अध्यापन कर चुके हैं। ईमेल: rishabhakrishna@gmail.com

इस आंकड़े को बढ़ाना ही सरकार के लिए असली चुनौती है क्योंकि तभी वित्तीय समावेशन की उसकी योजना अगले चरण में कदम रख पाएगी लेकिन चुनौती भी कई तरह की है। सबसे पहली चुनौती तो जन धन खातों के नियम ही हैं। इन खातों से महीने में 10,000 रुपये से ज्यादा रकम की निकासी नहीं की जा सकती। इसी तरह खाताधारक किसी भी समय उनमें एक लाख रुपये से अधिक रकम जमा नहीं रख सकते। इन्हें देखकर लगता है कि सरकार भी डीबीटी और ग्रामीण तथा निम्न वर्गों के कल्याण की सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली रकम के लिए ही इन खातों का इस्तेमाल करना चाहती है। यदि कोई व्यक्ति चार या पांच साल बाद पड़ने वाली किसी जरूरत के लिए मोटी रकम जमा करना चाहता है तो जन धन खाता उसके काम ही नहीं आएगा। स्वाभाविक तौर पर इसे सांकेतिक वित्तीय समावेशन ही कहा जाएगा, वास्तविक नहीं।

**शुरुआत में इस बात को लेकर जन धन योजना की आलोचना होती थी कि खाते कमोबेश खाली पड़े हैं और 31 मार्च 2015 को तो 58 फीसदी से भी ज्यादा खातों में कोई रकम नहीं थी लेकिन 2 मार्च 2016 को बिना रकम वाले जन धन खाते महज 28.79 फीसदी रह गए थे। इस समय सभी जन धन खातों में कुल मिलाकर करीब 33,532. 10 करोड़ रुपये जमा हैं।**

## वित्तीय साक्षरता की जरूरत

एक परेशानी यह भी है कि सरकार खाताधारकों को रुपे कार्ड के ज़रिए ही लेनदेन करने के लिए कह रही है, जो बड़ी संख्या में खाताधारकों के लिए आसान नहीं है। शहरों में भी हमें कई बार ऐसे बुजुर्ग या अशिक्षित मिल जाते हैं, जो एटीएम से रकम निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का मुंह तक रहे होते हैं। वजह – एटीएम का इस्तेमाल उनके लिए बेहद पेचीदगी भरा होता है क्योंकि तकनीक से उनका पाला ही नहीं पड़ा होता है। अगर शहरों में ऐसा हो सकता है तो गांवों में ऐसा होना स्वाभाविक है। बैंक अधिकारियों की यह आम शिकायत होती है कि गांव-देहात के लोगों या एकदम निचले तबके के लोगों को निजी पहचान संख्या (पिन) वाले कार्ड के ज़रिए एटीएम का इस्तेमाल बेहद पेचीदा लगता है और वे इससे कतराते हैं। इसी तरह जन धन खातों के तहत मिलने वाली 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी लाभार्थियों की समझ से परे है और अगर अखबारों में आए दिन छपने वाली खबरें देखें तो ज्यादातर लाभार्थी इसे भी सब्सिडी ही मान बैठे थे।

यहां हमें वित्तीय साक्षरता की अहमियत और जरूरत का अहसास होता है। जिन्होंने कभी बैंक या एटीएम की शक्ल नहीं देखी, उनके हाथ में रुपे कार्ड देने का तब तक कोई तुक नहीं है, जब तक उन्हें उसका इस्तेमाल करना सिखा नहीं दिया जाता। इसलिए सरकार को वित्तीय समावेशन की अगली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए वित्तीय साक्षरता पर जोर देना ही पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे कुछ बैंक इसकी मिसाल बन भी रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेहद दुर्गम गांवों में हर महीने वित्तीय साक्षरता और संपर्क के कार्यक्रम चला रहा है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब तक खोले गए 70 लाख से अधिक जन धन खातों में करीब 10 लाख खातों में हर हफ्ते रकम जमा होती है या निकाली जाती है। बैंक प्रबंधन इसके पीछे वित्तीय साक्षरता की कार्यशालाओं को बड़ी वजह मानता है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा भी ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसके साथ वित्तीय साक्षरता को जोड़ दिया गया है। इसका नतीजा है कि उसकी शाखाओं में खुले 83 फीसदी से अधिक जन धन खातों में नियमित लेनदेन हो रहा है।[2]

## बचत योजनाओं का विस्तार हो

सरकार को यह लेनदेन बढ़ाने के तरीके ईजाद करने चाहिए ताकि गरीबों को बीज-खाद खरीदने, इलाज कराने, बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए साहूकारों के हाथों शोषित होने के बजाए अपनी ही बचत का इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। इस तबके के पास रकम बचाने के तरीके बहुत कम हैं। छोटे और सीमांत किसानों को तो अक्सर फसल बिकने के कई महीनों बाद ही उसकी कीमत मिलती है। बीच के महीनों में उन्हें या तो मजदूरी करनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। जब एकमुश्त रकम आती है तो उससे कर्ज ही चुकाया जाता है और तंगी पहले की तरह बरकरार रहती है। अगर उन्हें हर महीने बचत करने का तरीका सिखा दिया जाए तो जन धन खाते में मौजूद रकम ही उन महीनों में उनके काम आएगी, जब आमदनी नहीं होती है।

## जरूरतों के अनुकूल बैंकिंग मॉडल

इसके लिए जरूरी है कि जन धन खातों से आगे बढ़कर बचत की ऐसी योजनाएं लाई जाएं, जो लक्षित वर्गों की जरूरतों के अनुरूप हों। इसके लिए *बैंक रक्यात इंडोनेशिया* (बीआरआई) का उदाहरण लिया जा सकता है। इंडोनेशिया का यह बैंक कम आय वाले परिवारों की जरूरत के मुताबिक कर्ज और बचत योजनाएं तैयार करता है। इसके पास 3 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं और यह हरेक ग्राहक की जरूरत के मुताबिक खाते और योजना तैयार करने का दावा करता है ताकि उनके खाते का बेहतर इस्तेमाल हो सके। इसके खाते इस तरह के होते हैं कि वे खाताधारक को कर्ज लेने के बजाए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बैंक की हरेक शाखा अलग इकाई के तौर पर काम करती है और अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करती है। इन्हीं कारणों से बीआरआई लंबे अरसे से मुनाफे में रह रहा है और पूर्वी एशिया में आए वित्तीय संकट को भी वह आसानी से झेल गया था। थाईलैंड और चीन में भी बीआरआई की तर्ज पर बैंक चलाने की बात चल रही हैं।[3]

इसी तरह फिलीपींस में *ग्रीन बैंक ऑफ करागा* भी सीड (सेव, अर्न एंड इंजॉय डिपॉजिट्स) खाते चलाता है। इनमें खाताधारक खुद ही तय करता है कि वह अपने खाते में किस तारीख तक रकम जमा करेगा या कितनी रकम जमा करेगा। लक्ष्य पूरा होने तक वह अपने खाते से रकम निकाल नहीं सकता। इससे लोगों को जबरन बचत करनी पड़ती है और संकट के समय उनके पास पर्याप्त सहारा होता है।

**बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसके साथ वित्तीय साक्षरता को जोड़ दिया गया है। इसका नतीजा है कि उसकी शाखाओं में खुले 83 फीसदी से अधिक जन धन खातों में नियमित लेनदेन हो रहा है।**

भारत में भी ऐसा कुछ सोचा जा सकता है और जन धन खाते ऐसी योजनाओं के लिए एकदम माकूल होंगे क्योंकि वित्तीय साक्षरता के ज़रिए

खाताधारकों को बचत की अहमियत सिखाकर नए तरीके आजमाए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए धन निकासी और जमा की सीमा बढ़ानी होगी और ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल करना भी उस तबके को सिखाना पड़ेगा। जाहिर है कि वित्तीय साक्षरता यहां फिर अहम हो जाती है।

**यह तय मानिए कि मुद्रा योजना अलादीन के चिराग से कम नहीं है। रोजगार और उद्यम के मोर्चे पर यह चमत्कार कर सकती है और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के लिए देसी उद्यमियों की पूरी फौज खड़ी कर सकती है लेकिन सरकार अगर ऊपर बताए कुछ पहलुओं पर जोर देगी तो इसका प्रभाव और भी व्यापक दायरे में हो जाएगा।**

वित्तीय समावेशन की वर्तमान नीतियों की समीक्षा करने तथा इसके लिए दीर्घ अवधि की कार्य योजना सुझाने के लिए गठित सरकारी समिति भी यही सुझाव दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक पटेल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने पिछले दिसंबर में अपनी रिपोर्ट में कहा कि छोटे तथा सीमांत किसानों एवं निम्न आय वाले परिवारों को उचित खर्च पर बचत, निकासी, कर्ज, सरकारी बीमा और पेंशन की सुविधाएं वित्तीय समावेशन की योजनाओं में शामिल होनी ही चाहिए।[4]

## मुद्रा योजना

वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की दूसरी सबसे बड़ी पहल माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) है, जिस पर पिछले बजट से ही खासा जोर दिया गया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उद्यमों पर शुरू से ही जोर देते रहे हैं और मुद्रा योजना उसी का अंग है। भारत में इस समय 54 फीसदी से भी अधिक जनसंख्या 25 साल से कम उम्र वाली है लेकिन उसमें से महज 5 फीसदी को ही रोजगार के लायक औपचारिक कौशल प्रशिक्षण हासिल हो पाता है। रोजगार की इस कमी को गांव-देहात तक फैले करीब 5.77 करोड़ छोटे और मझोले उद्योग (एसएमई) आसानी से भर सकते हैं।[5]

10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले इन एसएमई की जीडीपी में 8 फीसदी से ज्यादा और औद्योगिक उत्पादन में 45 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। भारत से होने वाले निर्यात में भी इनकी भागीदारी करीब 40 फीसदी है लेकिन रोजगार देने के मामले में भारतीय एसएमई दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। मिसाल के तौर पर ब्राजील में करीब 67 फीसदी रोजगार एमएसएमई से ही मिलता है। फ्रांस में आंकड़ा 63 फीसदी, जर्मनी में 62 फीसदी और अमेरिका में 53 फीसदी है लेकिन भारत में ये उद्यम केवल 28 फीसदी रोजगार दे पाते हैं।[6] इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इन इकाइयों को अक्सर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां स्वयं ही रकम की व्यवस्था करने को विवश हो जाती हैं। इसके लिए उद्यमी रिश्तेदारों से उधार लेते हैं अथवा साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं। बची खुची कसर उन्हें असंगठित ऋण बाज़ार से ऊंचे ब्याज पर उधार लेकर पूरी करनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उनके लाभ पर पड़ता है। बमुश्किल 11 फीसदी एसएमई को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कर्ज मिल पाता है। बाकी शेष एमएसएमई गैर संस्थागत स्रोतों से रकम लेते हैं।[7]

मुद्रा योजना इनके लिए वास्तव में बहुत फायदे वाली है। पिछले बजट में सरकार ने इस योजना के तहत 1.22 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा था और इस साल 4 मार्च तक 1.03 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटे भी जा चुके थे।[8] इस बार के बजट में सरकार ने वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1.80 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 'शिशु ऋण' के तहत 50,000 रुपये तक का कर्ज उन उद्यमियों को दिया जाता है, जो अपना उद्यम शुरू ही कर रहे होते हैं। पहले से चल रहे उद्यमों को 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के 'किशोर ऋण' दिए जाते हैं और 5 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक के 'तरुण ऋण' भी दिए जाते हैं।

इनमें शिशु ऋण सबसे अहम है क्योंकि उसके लिए किसी तरह की जमानत की जरूरत नहीं होती और कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लगता। इसके अलावा उस पर 1 फीसदी मासिक की दर से ब्याज लिया जाता है और रकम लौटाने के लिए 5 साल तक का समय भी मिल सकता है। वास्तव में नया कारोबार लगाने के इच्छुक उद्यमियों को सबसे ज्यादा जरूरत इसी कर्ज की होती है। इसका सबूत वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के जवाब से भी मिलता है, जो उन्होंने इसी साल 26 फरवरी को संसद में दिया था। उसके मुताबिक 12 फरवरी तक मुद्रा के तहत लगभग 2.70 करोड़ लोगों को कर्ज दिए गए थे और इनमें 2.50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने शिशु ऋण लिए थे।[9]

इस योजना का एक वर्ष पूरा होने पर सरकार को इसमें भी डिजिटल प्रौद्योगिकी का दखल बढ़ाना चाहिए। यदि भारत में स्टार्ट अप कंपनी को एक ही दिन में खोला जा सकता है और झटके में बंद भी किया जा सकता है तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में बैठे किसी युवक को 50,000 रुपये का मामूली कर्ज पाने के लिए बार-बार बस या ट्रेन में बैठकर शहर क्यों आना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार उन इलाकों में ब्रॉडबैंड की सुविधा देते हुए इंटरनेट पहुंचाए और प्रशिक्षित कर्मचारी उस आदिवासी युवक को घर बैठे ही जरूरी कागजों को डिजिटल प्रारूप में भेजने में मदद करे। इसके बाद कर्ज को मंजूरी मिल जाए और पड़ोस के किसी बैंक का एजेंट उस युवक तक रकम पहुंचा सके। निश्चित रूप से सरकार के लिए यह बड़ा काम नहीं है, जिसे करने से मुद्रा योजना अधिक प्रभावी हो सकेगी।

इसके अलावा सरकार 50 फीसदी से अधिक मुद्रा ऋण अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को देना चाहती है। सरकार ने अभी आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है लेकिन यदि इस वर्ग को ऋण देने का लक्ष्य शहरी लाभार्थियों से ही पूरा कर लिया जाता है तो कोई फायदा नहीं। कृषि से अधिक रोजगार नहीं मिलने हैं, इसलिए सरकार को इस योजना के तहत भी गांवों में अधिक लाभ देना चाहिए। इसीलिए पहला हक बेहद पिछड़े गांवों के युवाओं का बनता है, जिस पर सरकार को अधिक जोर देना चाहिए।

**गत वर्ष दो ऐसी पहलें हुई हैं, जो देश के बैंकिंग और वित्तीय तंत्र को झकझोर कर रख देंगी। इनके नाम हैं भुगतान बैंक और लघु बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति को सही मायने में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके सुझाने के लिए कहा था। समिति ने भुगतान बैंक की सलाह दे दी। पिछले साल अगस्त में रिजर्व बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, आदित्य बिड़ला नूवो और सन फार्मा समेत कई नामी कंपनियों को भुगतान बैंक के लाइसेंस दिए।**

यह तय मानिए कि मुद्रा योजना अलादीन के चिराग से कम नहीं है। रोजगार और उद्यम

के मोर्चे पर यह चमत्कार कर सकती है और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के लिए देसी उद्यमियों की पूरी फौज खड़ी कर सकती है लेकिन सरकार अगर ऊपर बताए कुछ पहलुओं पर जोर देगी तो इसका प्रभाव और भी व्यापक दायरे में हो जाएगा।

## भुगतान बैंक और लघु बैंक

इन दोनों योजनाओं के अलावा गत वर्ष दो ऐसी पहलें हुई हैं, जो देश के बैंकिंग और वित्तीय तंत्र को झकझोर कर रख देंगी। इनके नाम हैं भुगतान बैंक और लघु बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति को सही मायने में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके सुझाने के लिए कहा था। समिति ने भुगतान बैंक की सलाह दे दी। पिछले साल अगस्त में रिजर्व बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, आदित्य बिड़ला नूवो और सन फार्मा समेत कई नामी कंपनियों को भुगतान बैंक के लाइसेंस दिए। छोटी आय वालों और प्रवासी कामगारों के लिए एकदम अनुकूल ये बैंक वित्तीय समावेशन की क्रांति ला सकते हैं क्योंकि ये बेहद सुलभ तकनीक *मोबाइल फोन* के जरिये काम करते हैं।

सलाहकार फर्म केपीएमजी की एक रिपोर्ट के अनुसार जन-धन योजना के सफल होने के बाद भी देश की आधी आबादी बैंकिंग सेवा से वंचित है। ग्रामीण अंचलों में रहने वालों और अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर काम करने गए दिहाड़ी मजदूरों के पास बैंक खाते नहीं हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह तबका साल में तकरीबन 80,000 से 90,000 करोड़ रुपये का लेनदेन करता है (ज्यादातर मामलों में रकम अपने घर भेजता है), जिसके लिए बड़ा शुल्क चुकाना पड़ता है। भुगतान बैंक आने पर यही रकम बहुत कम शुल्क के साथ भेज दी जाएगी। भारत में करीब 94 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन हैं। एक से अधिक कनेक्शन वाले उपभोक्ता हटा भी दिए जाएं तो 70 करोड़ उपभोक्ता मिल ही जाएंगे। भुगतान बैंक छोटी रकम भेजने या निकालने के लिए इसी मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक से कहेंगे। महज फोन पर अंगुलियां घुमाकर अगर बैंक के ढेर सारे काम हो जाते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा।

इनके लिए भुगतान बैंकों को न तो बड़ा बुनियादी ढांचा चाहिए और न ही अधिक कर्मचारी। जिन कंपनियों को लाइसेंस मिले हैं, उनकी साख आम आदमी के बीच काफी है। उन्हें केवल वे जगहें तलाशनी होंगी, जहां बैंकिंग सेवा कमजोर है। कर्मचारी के बजाय वे स्थानीय किराना दुकानदारों, बीमा एजेंटों या बेरोजगार युवाओं को रख सकते हैं। वही व्यक्ति ग्राहकों से रकम लेगा और उनके खाते में जमा कर देगा। ग्राहक उसी के पास जाकर रकम की निकासी भी कर सकते हैं। अगर ऐसी चलती-फिरती बैंक शाखा पड़ोस में मिल जाए तो बैंक शाखा के चक्कर कोई क्यों काटेगा?

रिजर्व बैंक ने ऐसी ही जुगत लघु बैंकों के लाइसेंस देकर भी भिड़ाई है। पिछले साल सितंबर में 10 कंपनियों को लघु बैंक बनाने की मंजूरी मिल गई है और पंजाब में तो पहला लघु बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अगले महीने इसे शुरू भी करने जा रहा है। लघु बैंकों के लिए भारत में जबरदस्त गुंजाइश है क्योंकि

**भुगतान बैंकों को न तो बड़ा बुनियादी ढांचा चाहिए और न ही अधिक कर्मचारी। जिन कंपनियों को लाइसेंस मिले हैं, उनकी साख आम आदमी के बीच काफी अच्छी है। उन्हें केवल वे जगहें तलाशनी होंगी, जहां बैंकिंग सेवा कमजोर है। कर्मचारी के बजाय वे स्थानीय किराना दुकानदारों, बीमा एजेंटों या बेरोजगार युवाओं को रख सकते हैं।**

विश्व बैंक की ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बैंकिंग से महरूम वयस्कों का 38 फीसदी हिस्सा भारत, चीन और इंडोनेशिया में रहता है। इस खाई को लघु बैंक आसानी से पाट सकते हैं। इन बैंकों की खासियत यह है कि ये सामान्य बैंकों जैसे सारे काम करेंगे यानी रकम जमा करेंगे, निकासी की सुविधा देंगे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड देंगे। वहां भुगतान बैंक की तरह अधिकतम 1 लाख रुपये जमा कराने की बंदिश भी नहीं है।

अंतर यही होगा कि सामान्य बैंकों से उलट ये बेहद छोटे इलाके में कारोबार करेंगे। यही वजह है कि इनके अधिकतर लाइसेंस भी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को दिए गए हैं, जो उन इलाकों में छोटे कर्ज देती हैं, जहां बैंकिंग सेवा सुलभ नहीं है। इनका छोटा दायरा ही इन्हें ज्यादा फायदेमंद बनाता है। रिजर्व बैंक का नियम है कि इन बैंकों से 75 फीसदी कर्ज प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जाएगा यानी किसानों, छोटे उद्यमियों और कम कमाई वालों को मिलेगा। इसलिए किसानों या छोटे कारोबारियों को बैंकों का मुंह ताकने के बजाय लघु बैंकों से आसानी से कर्ज मिल जाएगा। ये खेती या कारोबार के अलावा मकान के लिए भी कर्ज देंगे और ब्याज की दर काफी कम होगी। भुगतान बैंक की तरह इनके एजेंट आपके घर पर ही पहुंच जाएंगे और जमा की रकम ले जाएंगे या निकासी वाली रकम दे जाएंगे। ये बैंक म्युचुअल फंड और बीमा योजनाएं भी बेचेंगे, जिससे गांव-कस्बों में वित्तीय साक्षरता को भी मजबूती मिलेगी।

## काफी हुआ, कुछ बाकी

वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर यह सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत अधिक सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं। जन धन योजना और मुद्रा को जिस तरह लागू किया जा रहा है, वह भी सराहनीय है लेकिन पिछले एक साल में दोनों योजनाओं की समीक्षा कर अगर सरकार यह पता कर लेती है कि बुनियादी ढांचे, आवाजाही, वित्तीय निरक्षरता, तकनीकी पंगुता जैसी कौन सी दिक्कतें लाभार्थियों के सामने आ रही हैं तो इन योजनाओं को बेहतर बनाना उसके लिए आसान होगा। लगभग 21 करोड़ जन धन खाते, 1 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण और भुगतान तथा लघु बैंक वास्तव में बेहद उजले कल की ओर संकेत कर रहे हैं लेकिन उस कल में और निखार लाने के लिए सरकार को अब इनमें अगली सीढ़ी चढ़नी होगी और आखिरी व्यक्ति तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी यानी उसे भी इस कारवां में जोड़ना होगा। ❑

## संदर्भ


1. प्रधानमंत्री जन धन योजना की आधिकारिक वेबसाइट
2. 'ओवर 70: ऑफ अकाउंट्स ओपन्ड अंडर जन धन आर नाउ एक्टिव', मिंट, 29 फरवरी 2016
3. एडवांसिंग फाइनेंशियल इनक्लूजन इन इंडिया बियॉण्ड द जन धन योजना, ब्रुकिंग्स इंडिया इंपैक्ट सीरीज, जनवरी 2015
4. 'फाइनेंशियल इनक्लूजन रिपोर्ट सजेस्ट्स गुड टाइम फॉर स्मॉल प्लेयर्स', बिजनेस स्टैंडर्ड, 30 दिसंबर 2015
5. पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति, 17 मार्च 2015
6. 'लघु व मध्यम उद्यमों की चुनौतीपूर्ण डगर', योजना, अप्रैल 2015
7. एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2011
8. मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट
9. पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति, 26 फरवरी 2016